केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज़ अनुसंधान संस्थान
Central Pulp & Paper Research Institute
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत
An Autonomous Organisation under the Administrative Control of Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India
(सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत / Registered under Societies Act)

BSCIC NABCB QM 030
ISO 9001 REGISTERED

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान (CPPRI) पेपर मिल रोड, हिम्मत नगर, सहारनपुर में आम व अमरूद के पेड़ों की फसल दो वर्ष के लिए (आम कि दो फसल एवं अमरूद की गर्मी व सर्दी की दो- दो फसल) नीलाम किए जाने हेतु दिनांक 23.04.2024 साँय 4.30 बजे तक मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता / ठेकेदार निश्चित तिथि एवं समय तक संस्थान की प्रशासनिक इकाई मे संस्थान द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र में अपनी दरें व अन्य सूचना भर कर प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा की आवश्यक नियम एवं शर्तें संस्थान की वैबसाइट (https://cppri.res.in/) पर उपलब्ध हैं।

बर्नाली शोम
(बर्नाली शोम)
प्रशासनिक अधिकारी

पेपर मिल रोड, हिम्मत नगर, सहारनपुर–247001 (उ.प्र.) भारत
PAPER MILL ROAD, HIMMAT NAGAR, SAHARANPUR-247001 (U.P.) INDIA
दूरभाष प्रत्यक्ष / Tel. Direct (0132) 2714050, दूरभाष ईपीएबीएक्स / Tel. EPABX (0132) 2714053, 2714061, 2714062
वैबसाइट / website : cppri.res.in, ईमेल / E mail : director.cppri@gmail.com
सी.पी.पी.आर.आई. डबलू.पी.आर.पी.सी. दिल्ली केन्द्र, प्लॉट संख्या 505, पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली – 110092

केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान

सहारनपुर

पत्रांक- सीपीपीआरआई /एस्टेट/ हॉर्टिकल्चर/8/18-19/819 **दिनांक - 12.04.2024**

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, निदेशक सी.पी.पी.आर.आई. सहारनपुर की ओर से संस्थान की फील्ड/परिसर मे लगे आम व अमरूद के पेड़ों के फलों की बहार दो वित्तीय वर्ष (2024 - 2026) के लिए नीलामी किए जाने हेतु मुहरबंध निविदाएँ दिनांक 23.04.2024 सांय 4.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता / ठेकेदार संस्थान द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र मे चाही गयी सूचना पूर्ण रूप से भरते हुए निश्चित तिथि एवं समय तक उपर्युक्त पेड़ों के फलों की नीलामी हेतु अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा के आवश्यक नियम एवं शर्तें निम्न रूप से होंगी।

निविदा कि नियम एवं शर्तें

1. इच्छुक निविदादाता / ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निविदा संस्थान द्वारा जारी निर्धारित निविदा प्रपत्र मे ही आवश्यक सूचना / जानकारी भरते हुए प्रस्तुत करनी होगी ।
2. निविदादाता को निविदा प्रपत्र मे चाही गयी सूचना एवं अपनी नीलामी की दरें स्पष्ट रूप से भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र मे यदि किसी प्रकार की कटिंग होती है तो उस कटिंग पर निविदादाता के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। ऐसा नहीं होने पर वह निविदा स्वत: ही निरस्त मानी जाएगी।
3. इच्छुक निविददाता / ठेकेदार नीलाम किए जाने वाले फलों का अवलोकन दिनांक 15.04.2024 से दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस मे अवलोकन कर सकते हैं।
4. निविददाता / ठेकेदार को निविदा प्रपत्र के साथ निविदा की अमानती राशि के रूप मे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी रु. 20,000/- (रुपए बीस हज़ार मात्र) की एफ.डी.आर./बैंकर चैक जो की सीपीपीआरआई (CPPRI), सहारनपुर के पक्ष मे देय हो अपनी निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। इस अमानती राशि के आभाव मे प्रस्तुत की गयी निविदा स्वत: ही निरस्त मानी जाएगी।
5. प्रथम अधिकतम एवं द्वितीय अधिकतम निविदादाता / ठेकेदार द्वारा दी गयी नीलामी दर देने वाले ठेकेदारों की अमानती राशि रोकते हुए अन्य निविदाओं की अमानती राशि एफ.डी.आर उसी दिन उन्हे वापस कर दी जाएगी।
6. नीलामी आदेश जारी होने 10 दिवस के अंदर संबन्धित ठेकेदार को ठेके की कुल नीलामी राशि का 50% संस्थान मे जमा कराना होगा, यदि ठेकेदार चाहे तो ठेके की अमानती राशि रु 20,000/- को उक्त 50% राशि मे शामिल कर सकता है। ठेके की शेष 50 % राशि आगामी वर्ष की आम की फसल की तुड़ाई शुरू करने से पहले जमा करना होगा।

बनाली शर्मा

7. अधिकतम निविददाता / ठेकेदार के पक्ष मे नीलामी ठेका आवंटन होने पर वह ठेकेदार इस ठेके को आगे किसी अन्य ठेकेदार को विक्रय नहीं करेगा। यदि ऐसा किया गया और यह तथ्य संस्थान के संज्ञान मे आता है तब ऐसी स्थिति मे तुरंत प्रभाव से ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा ठेकेदार द्वारा संस्थान मे ठेके से संबन्धित जमा कराई गयी राशि व धरोहर राशि जप्त कर ली जाएगी जिसके लिए ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा।
8. नीलामी ठेका आवंटन पत्र प्राप्त होने 10 दिवस के अंदर संबन्धित ठेकेदार को ठेके की कुल राशि का 10 प्रतिशत धरोहर राशि डी.आर(DR) बैंक गारंटी के रूप मे जमा करानी होगी जो ठेका सफलतापूर्वक पूर्ण होने के तीन माह के अंदर ठेकेदार को वापस लौटा दी जाएगी।
9. नीलामी के बाद नीलाम किए गए आम व अमरूद के पेड़ों व फलों की देखभाल, खाद पानी व दवाई आदि के छिडकाव ठेकेदार को अपने स्तर व जोखिम पर करना होगा, संस्थान इस कार्य हेतु ठेकेदार को किसी प्रकार की लेबर व पैसे आदि का भुगतान नहीं करेगा।
10. नीलाम किए गए पेड़ों के फलों की देखभाल, रख-रखाव , चौकीदारी , फलों के भंडारण आदि हेतु संस्थान कोई भवन अथवा अन्य सुविधा आदि प्रदान नहीं करेगा। यह सभी कार्यों व्यवस्था ठेकेदार को अपने स्तर व खर्च पर पूर्ण करनी होगी ।
11. संस्थान परिसर मे यदि ठेकेदार के किसी कर्मचारी द्वारा संस्थान की किसी भी प्रकार की संपत्ति व पेड़ों को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तों उस संपत्ति की मरम्मत/ हरजाने की भरपाई ठेकेदार द्वारा संस्थान को करनी होगी।
12. ठेकेदार द्वारा अपने कार्ये पर लगाए जाने वाले सभी कर्मचारियों का सत्यापित परिचय पत्र संस्थान के मुख्य द्वार पर चोकीदार सुपेर्विसर के पास जमा करने होंगे , उक्त दस्तावेज़ों / सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति के ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को संस्थान मे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
13. ठेकेदार द्वारा फलों व अन्य सामान को संस्थान के अंदर लाने व बाहर ले जाने का कार्य संस्थान के मुख्य द्वार पर चोकीदार की निगरानी व गेट पर एंट्री करते हुए लाना - लेजाना होगा किसी अन्य द्वार से प्रवेश करने व बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
14. ठेकेदार को पेड़ों से फल तोड़ने के बाद पेड़ों से टूटी टहनी आदि को एक स्थान पर इकट्ठा करते हुए बगीचों की पूर्ण साफ - सफाई रखनी होगी ।
15. ठेके की अवधि के दौरान संस्थान के बगीचों मे लगे पेड़ों की आवश्यकतानुसार कटाई व छटाई आदि करने का पूर्ण अधिकार संस्थान को होगा, ठेकेदार को इस मे कोई आपत्ति नहीं होगी।
16. उक्त ठेके से संबन्धित प्राप्त सभी निविदाओं अथवा किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित होगा।

बनानी सोम

17. ठेके की समय अवधि मे ठेका संचालन मे यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तब ऐसी स्थिति मे संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम निर्णय होगा जो की ठेकेदार को मान्य होगा।

18. ठेके के संचालन मे विवाद उत्पन्न होने की स्थिति मे यदि विवाद न्यायालय मे प्रस्तुत किया जाता है तो उस का न्यायालय क्षेत्र सहारनपुर होगा।

19. संबन्धित ठेकेदार के पक्ष मे फलों की नीलामी आदेश जारी होने के 5 दिवस के अंदर ठेकेदार को ठेके की नियम व शर्तों की सहमति हेतु रु. 100/- के नॉनजुड़ीशियल स्टांप पेपर पर अनुबंध करना होगा, जिस पर दोनों पक्षों के 2-2 गवाहों के हस्ताक्षर होंगे तथा नोटरी द्वारा सत्यापित कराते हुए ठेकेदार को संस्थान में जमा कराना होगा।

(बर्नाली शोम)
प्रशासनिक अधिकारी

वितरण -

1- आई.टी विभाग, वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु

2- नोटिस बोर्ड

3- मो0 सलिम, Scientist-B and I/c Horticulture, को सूचनार्थ ऐवम आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सेवा मे ,
श्रीमान निदेशक महोदय
केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान
पेपर मिल रोड, हिम्मत नगर
सहारनपुर

महोदय,
संस्थान द्वारा दो वर्ष के लिए आम एवं अमरूद के पेड़ों पर लगने वाले फलों की नीलामी सूचना जोकि समाचार पत्र में प्रकाशित की गयी है तथा जिसकी नीलामी की आवश्यक नियम एवं शर्तें संस्थान की वैबसाइट पर दी गईं हैं, को मैं भली भांति पढ़कर व समझते हुए अपनी नीलामी दर निर्धारित फार्म मे भर कर निम्न रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1.	निविदादाता / ठेकेदार का	
2.	पत्राचार का पता	
3.	आधार नंबर	
4.	पैन नंबर / टिन नंबर	
5.	जी. एस. टी. नंबर, यदि है	
6.	बैंक का नाम एवं खाता संख्या	
7.	मोबाइल संपर्क नंबर	
8.	ई मेल - आई.डी. (यदि कोई है)	
9.	नीलामी दर (शब्दों मे एवं अंकों में)	

नोट - क्रम संख्या 3 से 6 मैं दी गयी सूचना के दस्तावेज़ों की मेरे द्वारा हस्ताक्षर की गयी प्रतिलिपि इस निविदा फार्म के साथ संलग्न की गयी है।

दिनांक ....

ठेकेदार के हस्ताक्षर
(नाम ....)